झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (एस) संख्या 5336/2017

प्रसादी प्रसाद यादव, पिता- झारू प्रसाद यादव, निवासी ग्राम: ढाका मोड़, टोला- कद्रपथर, डाकघर और थाना- बाराहट, जिला- बांका (बिहार) ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. निदेशक, पंचायती राज, नेपाल हाउस, डोरंडा, डाकघर और थाना- डोरंडा, जिला- रांची

3. उपायुक्त, देवघर, डाकघर और थाना- देवघर, जिला- देवघर

4. जिला पंचायती राज अधिकारी, देवघर, डाकघर और थाना- देवघर, जिला- देवघर

5. महालेखाकार (ए एंड ई), झारखंड, एटी- डोरंडा, डाकघर और थाना- डोरंडा, जिला- रांची

6. महालेखाकार (ए एंड ई), बिहार, पटना ... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए: मोहम्मद इमरान बेग, अधिवक्ता

प्रतिवादीगणों के लिए: श्री मनीष कुमार, स्थाई अधिवक्ता II

मोहम्मद असगर, सहायक अधिवक्ता,श्री मनीष कुमार, स्थाई अधिवक्ता II के लिए

श्री रूपेश सिंह, अधिवक्ता

श्री जगीश, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक उपयुक्त रिट (ओं)/आदेश(ओं)/निर्देश(ओं) या परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादीगणों को प्रार्थी को 5 वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए निर्देश दिया गया है और प्रार्थी के वेतन को 5 वें वेतन आयोग के अनुसार तय करने के बाद प्रार्थी की पेंशन तय करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। 1

3. प्रतिवादी नंबर 6 के विद्वान वकील इस न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि पूरक-जवाबी हलफनामा दिनांक 14.03.2024 और प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी नंबर 6 ने याचिकाकर्ता को 6वें और 7वें वेतन आयोग का लाभ देकर पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी किया है । प्रतिवादी नंबर 6 के विद्वान वकील का तर्क निर्विवाद रहा है।

4. इस प्रकार, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से शपथ ग्रहण किए गए उक्त पूरक-जवाबी हलफनामे के मद्देनजर, यह रिट याचिका निरर्थक हो गई है।

5. तदनुसार, इस रिट याचिका को निष्फल होने के कारण निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 21 मार्च, 2024

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।